न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/09

भंवर लाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्री छोट्या जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।
2. परमानन्द आत्मज धूला जी जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 10.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में कुल 13 किता की रकबा 35 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खाते में गत बन्दोबस्त के समय 35 बीघा 01 बिस्वा भूमि थी । उक्त भूमि में सें 04 बीघा भूमि रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहित कर लिये जाने वादी को 31 बीघा 01 बिस्वा पर खातेदारी मिली । इसी भूमि पर आज तक वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है । बन्दोबस्त के दौरान पुराने खसरा नम्बर को नये खसरा नम्बरान के रूप में समयोजित या अंतरित किया गया किन्तु इस कम में गत खसरा नम्बर 594 के बटा नम्बर को सही रूप से नये नम्बरान में अंतरित नहीं किया गया परिणामस्वरूप खसरा नम्बर 594 की 11 बिस्वा भूमि वादी के खाते में अंकित नहीं हो सकी । पुराने खसरा नम्बर 595 को नये खसरा नम्बर में अंतरित करते समय तीन बिस्वा भूमि वादी के खाते में अंकित कर दी गई । बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई इस त्रुटि को दुरूस्त कराने का वादी को

अधिकार प्राप्त है । खसरा नम्बर 1215 के नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी आधार के दक्षिणी पूर्वी भुजा में एक लकीर लाल स्याही से इस तरह खींच दी गई कि उससे वादी का यह खेत छोटा दिखाई देने लगा और इस लकीर से प्रतिवादी परमानन्द का खते खसरा नम्बर 1218 का रकबा बढा हुआ दिखाई देने लगा । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई नक्शा ट्रेस की इस त्रुटि को दुरूस्त करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के खाते में गत बन्दोबस्त के पूर्व के रकबे को यथावत रखते हुए रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहित 04 बीघा को कम करते हुए 31 बीघा 01 बिस्वा का इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिया जावे । खसरा नम्बर 1215 के नक्शा ट्रेस में इस खेत की दक्षिणी पूर्वी भुजा में की गई लकीर को विलोपित करते हुए बन्दोबस्त से पूर्व बने हुए नक्शे के मुताबिक ही रखते हुए आवश्यक दुरूस्ती की जावे । इस अनुसार वादी को खातेदार कृषक इस भूमि पर घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी परमानन्द को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की भूमि खसरा नम्बर 1215 की पुरानी बनी हुई बन्दोबस्त से पूर्व बने हुए राजस्व विभाग के नक्शा ट्रेस के मुताबिक चले आ रहे कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी कम 02 स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादी कम 02 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक के 13.08.2013 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.08.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने काल्पनिक आधार पर वाद खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1215 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा के नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा दक्षिणी पूर्वी भुजा में एक लकीर लाल स्याही से अंकित की गई जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं थी इस सम्बन्ध में वादी द्वारा जब भूमि का सीमाज्ञान कराया गया तो हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में वादी की 03 बिस्वा भूमि कम होना तो माना एवं साथ ही लिखा कि दोनों नक्शों की दुरूस्ती के पश्चात् ही सीमाज्ञान किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के दौराने अपीलान्ट के परिवार में मौत हो गयी एवं उसके पश्चात् उनका स्वास्थ्य खराब हो गया । वादी बुजुर्ग व्यक्ति होने से अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के दौरान अपीलान्ट के परिवार में मौत हो गयी उसके पश्चात् वादी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, प्रार्थी बजुर्ग व्यक्ति होने के कारण वह अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सका था । प्रार्थी अपीलान्ट दिनांक 21.12.2018 को अपने अभिभाषक से मिला तो उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्रापत हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया और दिनांक 29.12.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट के खाते में कुल 13 किता की 35 बीघा 01 बिस्वा आराजी वाके ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित थी । उक्त भूमि में से 04 बीघा भूमि रेलेवे विभाग द्वारा अधिग्रहित कर ली थी, शेष 31 बीघा 01 बिस्वा आराजी वादी के खातेदारी में रही इस आराजी में से खसरा नम्बर 1215 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा के नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा बन्दोबस्त के समय बिना किसी युक्तियुक्त आधार के दक्षिगी पूर्वी भुजा एक लकीर लाल स्याही से इस तरह खींच दी गई कि उससे वादी का यह खेत छोटा दिखाई देने लग गया व इसी खसरा नम्बर के समीपस्थ खसरा नम्बर 1218 का रकबा बढा हुई दिखाई देने लगा । बन्दोबस्त विभाग का यह कृत्य अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय विधि–विरूद्ध किया है जबकि खसरा नम्बर 1215 का सीमाज्ञान करने गये पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में वादी की 03 बिस्वा आराजी कम होना माना है और यह भी लिखा कि दोनों नक्शों को दुरूस्त करने के पश्चात् ही सीमाज्ञान करवाया जा सकता है । इनको भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 08.06.1995 संलग्न है उसमें यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 1215 का सीमाज्ञान किस नक्शे के आधार पर किया जावे । खसरा नम्बर 1215 का पटवारी के नक्शे से अगर सीमाज्ञान करवाया जावेगा तो खसरा नम्बर 1215 का रकबा 03 बिस्वा कम होगा अगर जिला कार्यालय के नक्शे से सीमाज्ञान किया जावेगा तो खसरा नम्बर 1215 का रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा सही बैठ जावेगा और भूमि खसरा नम्बर 1218 का रकबा 03 बिस्वा कम होगा ऐसी स्थिति में दोनों नक्शों में भिन्नता होने से अब सीमाज्ञान करवाया जावेगा तो दोनों पक्षों में विवाद होगा । दिनांक 08.02.1995 की जो रिपोर्ट लगी हुई है वह भी इन्हीं पटवारी हल्का की है जो इससे भिन्न है । इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2013 निरस्त फरमाया जावे।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है जबकि उनके खाते में रकबा कम नहीं हुआ है नक्शों में यदि वादी दुरूस्ती चाहता है तो इसके लिए भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकता है । खसरा नम्बर 1218 की आराजी प्रतिवादी के खाते की है जो प्रतिवादी द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । 24 वर्षों से प्रतिवादी का इस आराजी पर कब्जा है । वादी के गवाह ने जिरह में कथन किया है कि प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है । अपील विलम्ब से पेश की गई है, विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपीलान्ट के द्वारा विलम्ब के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं । सन् 2018 में उनके परिवार में किसी का स्वर्गवास नहीं हुआ था ओर न ही भंवर लाल की तवीयत खराब हुई थी । रेस्पोडेन्ट ने इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2013 बहाल रखा

जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1998 (एससी) पेज 2276, आरआरडी 1989 पेज 667 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया है कि सेटलमेंट विभाग ने उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 1215 के दक्षिणी पूर्वी दिशा में गलत रूप से एक लकीर खींची है जिसे विलोपित किया जावे ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार छोट्या वल्द रामचन्द्र के खाते में 35 बीघा 01 बिस्वा आराजी दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2047–58 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नम्बर 1215 की रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा आराजी भंवर लाल के खाते में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 1215 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 726 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा अंकित है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 5, नोटिस की प्रति प्रदर्श–6, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श–6 पत्रावली पर संलग्न हैं । माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 18.12.2002 की प्रति भी पत्रावली में संलग्न है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 08.02.1995 एवं दिनांक 08.06.95 पत्रावली पर संलग्न हैं।

14. वादी ने अपने कथनों के समर्थन में बयान भंवर लाल पीडब्ल्यू–1, गोरधन पीडब्ल्यू– 2 कराये हैं ।

15. प्रतिवादी ने बयान परमानन्द डीडब्ल्यू–1, जगन्नाथ डीडब्ल्यू–2 कराये हैं ।

16. अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से जगन्नाथ के बयान पीडब्ल्यू–2 अंकित किये हैं जबकि ये डीडब्ल्यू– 2 हैं ।

17. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा का वाद पेश किया है कि उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 1215 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा के नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी आधार के दक्षिणी पूर्वी भुजा में एक लकीर लाल स्याही से इस तरह खींच दी गई कि उससे वादी का यह खेत छोटा दिखाई देने लगा और इस लकीर से प्रतिवादी परमानन्द के खाते के खसरा नम्बर 1218 का रकबा बढा हुआ दिखाई देने लगा । पत्रावली पर जो मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है उसके अनुसार खसरा नम्बर 1215 रकबा 10

बीघा 06 बिस्वा विवादित है का साबिक खसरा नम्बर 726 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा है । इस प्रकार खसरा नम्बर 1215 का रकबा व साबिक खसरा नम्बर 726 का रकबा दोनों बराबर हैं । इस प्रकार वादी के खाते में इस खसरा नम्बर का रकबा कम नहीं हुआ है । वादी का यह कथन है कि उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 1215 के दक्षिण पूर्वी तरह सेटलमेंट विभाग ने नक्शे एक लकीर खींच दी है । पत्रावली पर दिनांक 08.06.1995 की पटवारी हल्का की जो रिपोर्ट संलग्न है उसमें यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 1215 का पटवारी के नक्शे से अगर सीमाज्ञान करवाया जावेगा तो खसरा नम्बर 1215 का रकबा 03 बिस्वा कम होगा अगर जिला कार्यालय के नक्शे से सीमाज्ञान किया जावेगा तो खसरा नम्बर 1215 का रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा सही बैठ जावेगा । इस प्रकार नकल मिलान क्षेत्रफल एवं पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट से यही प्रमाणित होता है कि वादी नक्शे को दुरूस्त कराना चाह रहे हैं । राजस्व रिकॉर्ड में उनका रकबा कम नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में उनका हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । नक्शों में दुरूस्ती के लिए अपीलान्ट वादी भू–राजस्व अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2018 बहाल रखा जाता है ।

19. निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/09

भंवर लाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्री छोट्या जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।
2. परमानन्द आत्मज धूला जी जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 406/दावा/2016

भंवर लाल आयु 75 वर्ष आत्मज श्री छोट्या जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, बून्दी ।
2. परमानन्द आत्मज धूला जी जाति माली निवासी ग्राम देवपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 10.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामकुमार दाधीच एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.08.2013 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 10.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

10/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा